

फारम-VIII- क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या-62 तिथि-05.08.2025 के संदर्भ में

मेसर्स सावित्री सदन डेवलपर्स (ओपीसी) प्रा० लि०, निदेशक-श्री संजय कुमार, पिता-श्री चन्द्रदेव यादव, भू-स्वामि-श्री राजदेव सिंह, पिता-स्व० बैजनाथ सिंह पता-मकान नं०-39, गली नं०-01 वाटिकापुरी, रुकनपुरा, खाजपुरा, पटना, पिन-800014।

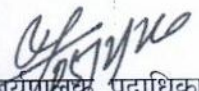
- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

दानापुर नगर परिषद / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 62...प्लॉट नं०- 725, खाता नं०-221, तौजी नं०-, थाना नं०-24, मौजा-मैनुपरा शंकर, पता-थाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-...65...../25-26 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 3678.10 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 978.00 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़कको मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 14.24 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

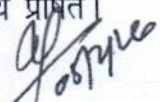
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनिवार्य रूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (त) निर्माण स्थल पर प्लान केस नम्बर, स्वीकृति की तिथि, प्लान की वैधता, कार्यालय का नाम का प्रदर्शित सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।
- (थ) अन्य शर्त

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 / 2022 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:-....65...../दिनांक:-.05/02/2026

प्रतिलिपि:- मेसर्स सावित्री सदन डेवलपर्स (ओपीसी) प्रा० लि०, निदेशक-श्री संजय कुमार, पिता-श्री चन्द्रदेव यादव, भू-स्वामि-श्री राजदेव सिंह, पिता-स्व० बैजनाथ सिंह पता-मकान नं०-39, गली नं०-01 वाटिकापुरी, रुकनपुरा, खाजपुरा, पटना, पिन-800014, मो० नं०-7070093816 को सूचनार्थ प्रेषित।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत